न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 517/2025 जिला अजमेर

1. अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर
2. आशीष कुमार पुत्र मुरलीधर
3. कृष्णा पुत्री हीरालाल
4. कौशल्या पत्नि श्याम सुन्दर
5. गिर्राज पुत्र श्याम सुन्दर
6. दीपिका पाराशर पुत्री मुरलीधर
7. राधा पुत्री हीरालाल
8. शकुंतला पुत्री मुरलीधर
9. सत्यनारायण पुत्र श्याम सुन्दर
10. मुकुट बिहारी पुत्र हीरालाल

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी बडी बस्ती, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर

—— अपीलांट्स

बनाम्

1. रामदेव पुत्र लालू, जाति रेगर, निवासी रेगरान मौहल्ला, बडी बस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्रीमती रूकमा देवी पुत्री लालू पत्नि हरजीलाल निवासी गौशाला के पास, मानगंज मौहल्ला तहसील व जिला ब्यावर।
3. दौलतराम पुत्र मंगलाराम, जाति रेगर, निवासी रेगरों का मौहल्ला, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. श्रीमती मीना देवी उर्फ मैना पुत्री मंगलाराम पत्नि विसनलाल जाति रेगर, निवासी रेगरों का मौहल्ला, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अशोक कुमार बनाम रामदेव वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2025 / 517 (पुष्कर)

रिप्रा०ज 02/02/26

	श्री महेन्द्रसिंह चौहान	
	अशोक बनाम रामदेव वगैरह (2025 / 517)	
07.11.2025	यह अपील श्री महेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 60 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 02.02.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
02.02.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना एवं अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अपील, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर आगामी पेशी दिनांक 20.11.2023 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। अपीलांट जो उक्त अपील के माध्यम से पेश रहे है वे अपने जवाब के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रार्थना	

लगातार...

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अशोक कुमार बनाम रामदेव वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2025/517 (पुष्कर)

श्री महेन्द्र सिंह चोयल

लगातार...	पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	